

Online

निष्पत्ति (D)



अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
आदेश फलक

धारा-144 द०प्र०सं०

वाद संख्या 30/2022

वारिस मर्सीम

- बनाम -

इरफान खान

चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या चक्रधरपुर (विवाद) आवेदक संख्या 09.04.2022
के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि प्रथम पक्ष - ① वारिस मर्सीम आवेदक 20.04.2022
पक्ष ① इरफान खान 07.05.2022
20.05.2022
21.05.2022

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शान्ति भंग हाने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-ब्यवस्था को बनाये रखने हेतु द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 02-04-2022 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
------	----------	----------	-----------	------	-------

वाड नं० 14
चक्रधरपुर

152

257

40 फुट लम्बा
1.57 फुट चौड़ा

पूर्व - शाहन
पश्चिम - नील
उत्तर - इरफान खान
दक्षिण - श्री० जमील

अनुमण्डल पदाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

02.04.2022

अभिलेख उपस्थारित। प्रथम पक्ष के सदस्य ① वारिस नसीम उपस्थित। तृतीय पक्ष के सदस्य ② डरफान खान उपस्थित। अभिलेख दिनांक - 09.04.2022 को उपस्थारित रहे।

09.04.2022

अभिलेख उपस्थारित। प्रथम पक्ष के सदस्य ① वारिस नसीम उपस्थित। तृतीय पक्ष के ओर से अर्धवक्ला द्वारा हारिजरी दी गई। परिवालीन पदा अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिलेख दिनांक - 20.04.2022 को उपस्थारित रहे।

20.04.2022

अभिलेख उपस्थारित। तृतीय पक्ष के ओर से अर्धवक्ला द्वारा हारिजरी दी गई। प्रथम पक्ष के सदस्य अनुपस्थित। परिवालीन पदा अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिलेख दिनांक - 07.05.2022 को उपस्थारित रहे।

07.05.2022

अभिलेख उपस्थारित। तृतीय पक्ष के ओर से अर्धवक्ला द्वारा हारिजरी दी गई। पुनश्च डरफान खान कारण प्रच्छेद के साथ उपस्थित।

पक्षांक-156

दिनांक-11.05.2022

प्रथम पक्ष के सदस्य ① वारिस नसीम उपस्थित।

Apparently, the case relates to a case related to the extent of each other's land. As such, it is important to get the title done. Directly, the case doesn't fall into the category of grave issue that requires emergency intervention. New date 20/5 A

20-05-2022 आमिर्वास उपलब्धकर्ता। नडनीय पक्ष हे ओर
से अधिककर्ता हाय धारिणी दी गि।
प्रथम पक्ष हे सदस्य ① वारिस नसीम उपलब्ध
अमिर्वास नडनांक- 21-05-2022 को उपलब्धकर्ता
की।

21-05-2022 आमिर्वास उपलब्धकर्ता। प्रथम पक्ष हे सदस्य
① वारिस नसीम उपलब्धकर्ता। नडनीय पक्ष हे
ओर से अधिककर्ता हाय धारिणी दी गि।

24-05-2022 आमिर्वास उपलब्धकर्ता। उमर पक्ष की सदस्य
अनुपलब्ध। वाद की कालकारिता होने के
कारण वाद की कारवाही समाप्त की गयी है।

